फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

राज0 सरकार बनाम **राजेश शर्मा**

किस्म मुकदमा धारा 177 **आर.टी.एक्ट** मुकदमा न0 221/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादीया राजेश शर्मा की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री संदीप मान एड. ने मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रतिवादीया की ओर से प्रार्थना पत्र 09 रूल 07 सीपीसी पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीया को सुना गया। उनका कथन है कि प्रतिवादीया/ प्रार्थीया के खिलाफ मौजुदा वाद में दिनांक 20.11.2021 को गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई। प्रतिवादीया/प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश की घरेलु महिला है, उन्हें मौजुदा वाद में कभी तामिल नोटिस नहीं गया। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जवाबदावा का अवसर प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है न्यायहित में प्रतिवादीया का प्रार्थनापत्र आदेश 09 रूल 7 सी.पी. स्वीकार किया जाकर जवाबदावा का अवसर दिया गया। प्रतिवादीया की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादीया अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादीगण ने वादवर्णित भूमि का स्वरूप नहीं बदला जबकि प्रतिवादीया ने अपनी कृषि भूमि को आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए चार दीवारी कर रखी है तथा इन्मप्रमेंट होल्डिंग के लिए एक मकान बना रखा है। बाकी कृषि भूमि को कृषि उपयोग में ही लेता रहा है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो को भंग किया हो एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म परिवर्तन की हो। यह कहना भी गलत है कि राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान किया हो। दावा गलत पेश होने से खारिज योग्य है। वादी कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवााही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से क्म होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ	

Scanned with Oken Scanner